



कुलसचिव कार्यालय  
(राजभाषा प्रकोष्ठ)

Office of the Registrar  
(Rajbhasha cell)

पत्र संख्या. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/ रा.भा.प्र./4(2)/हिन्दी कार्यशाला/10263

दिनांक: 19.11.2024

1. समस्त अधिष्ठातागण
2. समस्त विभागाध्यक्ष/स्कूलों के समन्वयक
3. प्रभारी इकाई/केन्द्र/कार्यालय
4. समस्त आचार्य प्रभारी
5. अध्यक्ष, संरक्षक परिषद
6. चीफ काउंसलर, जिमखाना
7. मुख्य आरक्षाधिकारी
8. अध्यक्ष, वेब प्रबंधन एवं ई-मेल सेवा समिति
9. समस्त प्रशासनिक संरक्षक
10. समस्त संयुक्त कुलसचिव
11. समस्त उप कुलसचिव
12. समस्त सहायक कुलसचिव
13. निदेशक के निजी सचिव
14. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक
15. केयर टेकर, कुलसचिव कार्यालय

भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)।

**विषय: "राजभाषा हिंदी और अनुच्छेद 351: भाषा की सामासिक धरोहर" विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन।**


महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सभी कार्मिकों को राजभाषा नीति संबंधी जानकारी दिया जाना अपेक्षित है। इसी क्रम में संस्थान में दिनांक 25.11.2024 को "राजभाषा हिंदी और अनुच्छेद 351: भाषा की सामासिक धरोहर" पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

विशिष्ट वक्ता	तिथि एवं समय	विषय
आचार्य प्रभाकर सिंह हिंदी विभाग, कला संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय	दिनांक: 25.11.2024 (सोमवार) समय: अपराह्न 02.00 बजे से	"राजभाषा हिंदी और अनुच्छेद 351: भाषा की सामासिक धरोहर"
स्थान: एनी बेसेंट व्याख्यान कक्ष संकुल (एबीएलटी- 4), भा.प्रौ.सं. (का.हि.वि.) वाराणसी।		

अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग/स्कूल/अनुभाग/कार्यालय के गैर-शिक्षण अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 22.11.2024 तक नामित करके राजभाषा प्रकोष्ठ के ई-मेल [rajbhasha@itbhu.ac.in](mailto:rajbhasha@itbhu.ac.in) पर कर्मचारी का पूर्ण विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें। कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि वे कार्यशाला के माध्यम से पूर्णतः लाभान्वित होकर राजभाषा नियमों की समुचित जानकारी प्राप्त करें।

भवदीया,

  
उप कुलसचिव (राजभाषा)  
भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) वाराणसी